भाग–3

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है,)

File No. FP/UP / Others/ 154442/2022

14.	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है, (हां या नही), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	–	नहीं।
15.	क्या संबन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	–	हॉं।
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	–	प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित है।

तिथि : 10/11/2022

स्थान : mbd.

नाम व पदनाम
सरकारी मोहर

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक –1484/ 14–1 दिनांक, मुरादाबाद, 11/ 11/ 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय :– जनपद रामपुर की तहसील सदर के ग्राम करनपुर की खसरा/गाटा संख्या–114 में (किसान सेवा केन्द्र) शाहबाद–रामपुर–बाजपुर मार्ग (प्रान्तीय राजमार्ग–144) के किमी0 चैनेज 52.630 की बाँयी पटरी पर मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, लिमिटेड, बरेली द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.1903हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। **File No. FP/UP / Others/ 154442/2022**

सन्दर्भ :– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर की पत्र संख्या–1018/14–1,दिनांक 05–11–2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना हैं कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर ने जनपद रामपुर की तहसील सदर के ग्राम करनपुर की खसरा/गाटा संख्या–114 में (किसान सेवा केन्द्र) शाहबाद–रामपुर–बाजपुर मार्ग (प्रान्तीय राजमार्ग–144) के किमी0 चैनेज 52.630 की बाँयी पटरी पर मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, लिमिटेड, बरेली द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.1903हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति सम्बन्धित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है। प्रभाग स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव संस्तुति सहित 03 मूल प्रतियों में आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयक प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक– प्रस्ताव मूल 03 प्रतियों में।</u>

भवदीय,

10/11

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

<u>पत्रांक– 1484 / 14–1, उक्तदिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– 1– मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उ0प्र0, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

2–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव **(इस कार्यालय से प्राप्त कर)** मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र/तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10/11

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।